न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 49/2016 आरसीएमएस 2016/00052

1. मातादीन आयु करीब 53 वर्ष पुत्र मवासी
2. सीताराम आयु करीब 51 वर्ष पुत्र मवासी
3. विशम्भर आयु करीब 49 वर्ष पुत्र श्री मवासी
4. विसो आयु करीब 47 वर्ष पुत्री श्री मवासी

समस्त जातिगण प्रजापति निवासीगण न्यू शेरगढ़ पुराना शहर धौलपुर जिला धौलपुर

———वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान जिला कलेक्टर धौलपुर ——प्रतिवादीगण

दावा स्वत्व घोषणा अधीन धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट——वादीगण की ओर से

पैरोकार सरकार–प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 02.01.2024

वादीगण की ओर से वादपत्र इन तथ्यो के साथ पेंश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 539/210 रकबा 2 बीघा बाके ग्राम मालीपुरा तहसील धौलपुर में स्थित है। खसरा नम्बर 210 मिन बाके ग्राम मालीपुरा मे से 2–00 बीघा क्षेत्रफल का आवंटन, आवटंन कमेटी द्वारा विधिवत रूप से मवासी पुत्र बेदरिया जाति कुम्हार निवासी ग्राम मालीपुरा तहसील धौलपुर के पक्ष में दिनांक 14.10.1979 को किया गया था तथा मवासी को विधिवत रूप से कब्जा प्रदान किया गया। मवासी पुत्र वेदरिया उक्त आवंटित कृषि भूमि पर जरिये आवंटन काबिज काश्त होकर निरन्तर फसल प्राप्त करते रहे तथा आवंटन की समस्त शर्तो की पालनाओं को दृष्टिगत रखते हुए जरिये नामान्तकरण संख्या 96 मवासी पुत्र वेदरिया को उक्त आवंटित कृषि भूमि पर गैरखातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। मवासी पुत्र वेदरिया का निधन हो चुका है मवासी के सबसे नजदीकी वारिस उत्तराधिकारी एवं कायम मुकाम वादीगण है।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

जिनके पक्ष में विवादित कृषि भूमि पर मवासी के स्थान पर जरिये नामान्तकरण संख्या 403 विरासतन नामान्तकरण खुल चुका है तथा वादीगण विवादित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार काश्तकार है तथा आवंटित खसरा नम्बर 210 ग्राम मालीपुरा वर्तमान खसरा नम्बर 539/210 रकबा 2 बीघा के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित है तथा विवादित कृषि भूमि की मुताबिक कब्जा काश्त विधिवत रूप से नक्शा में तरमीम हो चुकी है। विवादित कृषि भूमि पर मवासी के निधनोपरान्त वादीगण सामूहिक रूप से काबिज काश्त होकर फसल प्राप्त कर रहे है। वादीगण विवादित कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते है जिसके लिए वादीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने बावजूद प्राप्ति नोटिस वादीगण को विवादित कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये है तथा नोटिस की निर्धारित अवधि भी व्यतीत हो चुकी है। उपरोक्त परिस्थिति में वादीगण विवादित कृषि भूमि पर अपने खातेदारी अधिकार उद्घोषित करवाये जाने तथा राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार के रूप में अंकित करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने निवेदन किया कि दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को विवादित आराजी का गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार के स्थान पर सामूहिक रूप खातेदार दर्ज किया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जबाव दावा में अंकित किया कि विवादित आराजी पर वादीगण का कोई कब्जा नहीं हैं। वादीगण द्वारा वक्त अलोटमेन्ट से आज तक विवादित आराजी पर कभी भी काश्त नहीं की इस प्रकार उसके हक में यदि कोई आवंटन हुआ भी हो तो उन्होने आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया हैं बिना नोटिस दिये वांद वादीगण चलने योग्य नहीं है। अलौटी मवसिया की मृत्यू के बावत वादीगण ने ना तो मृत्यू प्रमाण पत्र पेंश किया है और ना किसी भी प्रकार का प्रमाणित शजरा पेंश किया हैं। उन्होने दावा वादीगण खारिज करने का निवेदन किया।

उभयपक्षो के लिखित अभिकथनो के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई:—

1. आया विवादित आराजी का वादीगण के पूर्व पुरूष स्व0 मवासी को विधिवत आवंटन हुआ व कब्जा दिलाया गया। ——वादीगण
2. आया वादीगण विवादित आराजी पर स्वयं को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित करा कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करा पाने के अधिकारी है। ——वादीगण
3. आया विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है वादीगण के द्वारा आवंटन

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

शर्तो की पालना नहीं की गयी है। अतः वाद काबिल खारिज़ी है। ——प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–73 प्रदर्स–1, प्रतिलिपि नक्शा अक्स प्रदर्स–2, नकल नामान्तकरण संख्या 96 ग्राम मालीपुरा प्रदर्स–3, नकल जमाबन्दी संम्वत 2036–40 प्रदर्स–4, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2042–45 प्रदर्स–5, नकल जमाबन्दी सम्वत 2050–53 प्रदर्स–6, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2058–61 प्रदर्स–7, नकल जमाबन्दी सम्वत 2066–69 प्रदर्स–8, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2070–73 प्रदर्स–9 नकल आवंटन आदेश प्रदर्स–10, नकल आवटनं हेतु आवेदन प्रदर्स–11, नकल खसरा गिरदावरी संम्वत 2042–45 व 2058–61–प्रदर्स–12, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2038–40 प्रदर्स–13, नकल खसरा सम्वत 2062–65 प्रदर्स–14, नकल खसरा सम्वत 2050–53 प्रदर्स–15, प्रति नोटिस 80 सी.पी.सी. प्रदर्स–16, रसीद रजिस्ट्री प्रदर्स–17, प्रति ए. डी. प्रदर्स–18 पेंश किये गये तथा मौखिक साक्ष्य में व्यान मातादीन पी0डव्लू0–1, व्यान मुन्नालाल पी0डव्लू–2 कराये गये तथा शपथपत्र हरेलाल प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेंश नही की गई

बहस उभयपक्षकार सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादीगण ने अपने तर्को में वादपत्र में अंकित तथ्यो का दुहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी वादीगण के पिता को आवंटन समिति के द्वारा विधिवत आवंटित की जाकर मौके पर कब्जा प्रदान किया गया और उनको राजस्व रिकार्ड मे गैरखातेदार अंकित किया गया। वादीगण के पिता के देहान्त होने के उपरान्त विरासत के आधार पर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज किया गया किन्तु विवादित आराजी पर उन्हे आज तक खातेदार दर्ज नही किया गया है। जबकि आवंटन नियमों के अनुसार आवंटन के तीन वर्ष के बाद नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जाने चाहिए। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी में विवादित आराजी पर काश्त का अंकन हो रहा है जिससे वादीगण का कब्जा काश्त सिद्व होता है। इस प्रकार वादीगण विवादित आराजी पर गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है उन्होने मुताबिक प्रार्थना वादपत्र दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पैरोकार सरकार का तर्क था कि विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त नही है आराजी नगरीय पैराफैरी क्षेत्र में आती है वादीगण को खातेदारी प्रदान करने से पूर्व श्रीमान जिला कलक्टर महोदय से अनुमोदन आवश्यक है। वादीगण को खातेदार दर्ज नही किया जा सकता उन्होने दावा वादीगण खारिज करने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । अतः तनकीवार विवेचन निम्नानुसार हैः–

तनकी नम्बर–1

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल आवटंन आवेदन पत्र पर अंकित आवंटन कमेटी की टिप्पणी में यह अंकित है कि 14.10.79 को प्रार्थना पत्र आवंटन कमेटी के समक्ष पेश हुआ खसरा नम्बर 210 रकबा 2 बीघा बाके ग्राम मालीपुरा प्रार्थी मवासी पुत्र बेदरिया को सर्वसम्मति से आवंटन किया जाना स्वीकार है, जिस पर आवंटन कमेटी के सभी सदस्यो के हस्ताक्षर है। प्रकरण में प्रस्तुत आवंटन आदेश कमांक 2757–58 दिनांक 15.10.79 प्रदर्स–10 के द्वारा मवासी पुत्र बेदरिया को खसरा नम्बर 210 रकबा 2 बीघा का आवंटन आदेश जारी किया गया और इस आवंटन के आधार पर नामान्तकरण संख्या 96 ग्राम मालीपुरा प्रदर्स–3 के द्वारा आवंटी मवासी को राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार अंकित किया जाना सिद्व होता है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रमाणित प्रति खसरा गिरदावरी सम्वत् नकल खसरा गिरदावरी संम्वत 2042–45 व 2058–61–प्रदर्स–12, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2038–40 प्रदर्स–13, नकल खसरा सम्वत 2062–65 प्रदर्स–14, नकल खसरा सम्वत 2050–53 प्रदर्स–15 में मवासी पुत्र बेदरिया गैरखातेदार एवं काश्त का अंकन हो रहा है खसरा गिरदावरी में काश्त के हो रहे अंकन से यह सिद्व होता है कि विवादि आराजी पर मवासी पुत्र बेदरिया द्वारा काश्त की गई है। इस प्रकार प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजो की प्रतियो से यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी का वादीगण के पिता मवासी को आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत आवंटन किया जाकर उनको रिकार्ड में गैरखातेदार अंकित किया गया और उसके द्वारा विवादित आराजी पर काबिज होकर निरन्तर काश्त की जा रही है। पैरोकार सरकार द्वारा वादीगण की साक्ष्य को गलत सिद्व करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण का कथन सिद्व होता है और यह तनकी वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर–2

तनकी नम्बर–1 के विवेचन से यह सिद्व है कि वादीगण के पिता मवासी को विवादित आराजी विधिवत रूप से आवंटित हुई उसका निरन्तर कब्जा काश्त रहा और राजस्व रिकार्ड में उसको गैरखातेदार दर्ज किया गया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संम्वत 2036–40 प्रदर्स–4, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2042–45 प्रदर्स–5, नकल जमाबन्दी सम्वत 2050–53 प्रदर्स–6, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2058–61 प्रदर्स–7, नकल जमाबन्दी सम्वत 2066–69 प्रदर्स–8 में मवासी पुत्र बेदरिया गैरखातेदार के रूप में अंकित है तथा नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–73 प्रदर्स–1 मे मवासी पुत्र बेदरिया गैरखातेदार तथा उसके स्थान पर नामान्तकरण संख्या 403 से विरासत के आधार पर वादीगण गैरखातेदार अंकित है। इस प्रकार प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्व होता है कि विवादित आराजी आवंटन दिनांक से वाद दायरी तक वादीगण के पिता मवासी एवं विरासत के आधार पर वादीगण गैरखातेदार दर्ज है और उनके द्वारा काश्त की जा रही है और वह आवंटन नियमो की शर्तो की पालना

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

कर रहे है तथा वह खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। चूंकि विवादित आराजी नगरीय पैराफैरी क्षेत्र में स्थित है और राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार आवंटित भूमि नगरीय क्षेत्र में स्थित होने पर उस पर खातेदारी अधिकार दिये जाने से पूर्व श्रीमान जिला कलक्टर महोदय से अनुमोदन आवश्यक है। अतः यह तनकी वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर–3

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। पैरोकार सरकार का कथन था कि विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा नही है आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। प्रकरण में वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तनकी नम्बर 1 व 2 के विवेचन के अनुसार विवादित आराजी का विधिवत आवंटन किया जाना उस पर मवासी पुत्र बेदरिया की काश्त का अंकन रिकार्ड में होना विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा होना एवं आवंटन शर्तो की पालना किया जाना सिद्व होता है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

अतः उपरोक्त प्रकरण का तनकीवार विवेचन के अनुसार वादीगण का कथन सिद्व होता है और वादीगण विवादित आराजी पर गैरखातेदारी से खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी होते है। अतः हम दावा वादीगण डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण बिरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 539/210 रकबा 02 बीघा बाके ग्राम मालीपुरा तहसील धौलपुर पर वादीगण को गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि विवादित आराजी नगर परिषद धौलपुर के पैराफैरी क्षेत्र में स्थित है अतः तहसीलदार धौलपुर को निर्देश दिये जाते है कि वह श्रीमान जिला कलक्टर महोदय से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही वादीगण को गैरखातेदार के स्थान खातेदार दर्ज करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 02.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

डिगरी वमुकद्दमे ईब्तदाई ,

पीठासीन अधिकारी–मनीष कुमार जाटव आर0ए0ए0
अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी धौलपुर
प्रकरण संख्या 49/2016 आरसीएमएस 2016/0052

1. मातादीन आयु करीब 53 वर्ष पुत्र मवासी
2. सीताराम आयु करीब 51 वर्ष पुत्र मवासी
3. विशम्भर आयु करीब 49 वर्ष पुत्र श्री मवासी
4. विसो आयु करीब 47 वर्ष पुत्री श्री मवासी

समस्त जातिगण प्रजापति निवासीगण न्यू शेरगढ़ पुराना शहर धौलपुर जिला धौलपुर

———वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान जिला कलेक्टर धौलपुर ——प्रतिवादीगण

दावा स्वत्व घोषणा अधीन धारा 88 राज0
काश्तकारी अधिनियम

आज यह मुकदमा ईनफिसाल कतई रूबरू मुझ व हाजरी श्री निशान्त भार्गव एडवोकेट मिनजानिव वादीगण एवं पैरोकार सरकार मिनजानिव प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि दावा वादीगण बिरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 539/210 रकबा 02 बीघा बाके ग्राम मालीपुरा तहसील धौलपुर पर वादीगण को गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि विवादित आराजी नगर परिषद धौलपुर के पैराफैरी क्षेत्र में स्थित है अतः तहसीलदार धौलपुर को निर्देश दिये जाते है कि वह श्रीमान जिला कलक्टर महोदय से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही वादीगण को गैरखातेदार के स्थान खातेदार दर्ज करें।

वशब्द मेरे वमुहर अदालत से आज दिनांक 02.01.2024 को जारी की गई।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर